राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .976/2014.....जिला.....श्रीगंगानगर.....

उनवान– मैसर्स दी इन्डयोर प्रा.लि., सूरतगढ़ बनाम् सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, श्रीगंगानगर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल,सदस्य** **श्रीमति आशा कुमारी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **06.05.2014,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) व 100 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 25 के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की **धारा 24** के तहत् निर्धारण वर्ष **2011–12** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **24.02.2014** में कायम मांग राशि **रू.49,77,610/–** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अलेकश शर्मा व विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा रोक आवेदन पत्र पर बहस हेतु दिनांक **20.01.2015** को उपस्थित हुये। रोक आवेदन पत्र पर बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में **किसी प्रकार के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक एवम् अनुचित है ।** अग्रिम कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने **राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006** के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी को कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु 1.5 प्रतिशत की दर से कार्य संविदा के निष्पादन से प्राप्त सकल प्राप्तियों पर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था एवम् निर्धारण अधिकारी ने राय बदलकर बिना किसी युक्तियुक्त आधार के मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत से वसूली योग्य होना अवधारित कर, हस्तगत विवादित मांग राशियां कायम की गयी है। अग्रिम अभिवाक् किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा समयावधि पश्चात् पूर्व में जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र	

20.01.2015

है जो अवधि पार होने के कारण अवैध है। करने संबंधी अपने कथन के समर्थन में माननीय सवोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. बनाम् मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील कमांक 2692/2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "धारा 33 की परिधि (scope) में प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता"। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1 STO 340, (2011) 42 VST 1, 1 STO 365, 1984 RRD 39, 84 RRD 56, 84 RRD 126, 1984 RRD 554, 1988 TBR 130,86 RTC 353, (1966) 17 STC 360, (1982) 50 STC 89, 45 STC 212 SC/AIR 1980 SC 674, (2007) 10 VST 751 Appeal No. 771/2007/Jaipur (RTB), Appeal No. 2363/2008/Jaipur ¼RTB, (2012) 48 VST 23, (2013) 36 TAX Update, (2011) 29 TAX UPDATE 253, 42 VST 1, (2013) 36 Tax Update 233, (1985) 58 STC 322, को प्रोद्धरित कर, **प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर,** बकाया वसूली योग्य मांग राशि **रू.49,77,610/–** की वसूली पर रोक लगाने का निवेदन किया अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को अवार्डर द्वारा छाबडा एवं सूरतगढ में पावर स्टेशन स्थापित करने का ठेका दिया गया जिसको दो भागों में विभाजित किया गया । कथन किया कि उक्त ठेका प्लांट एवं मशीनरी स्थापित करने के लिए दिया था जिस पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 2.25 प्रतिशत की दर से ईसी मांगा जाना चाहये था । किन्तु ठेकेदार द्वारा केवल इरेक्शन, टेस्टिंग एंव कमीशनिंग के कार्य पर ईसी 1.5 प्रतिशत से प्राप्त की गयी थी। जबकि उक्त प्राप्त कार्यादेश जारी **अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के कमांक–3 "Works contract relating to installation of plants and machinery including pspo, water treatment plant, lying of pipe line with material**" से संबंधित होने के कारण 2.25 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करना चाहिये था। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से 2.25 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गाय जो किसी भी तरह से अवधि पार नहीं था। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन किया गया । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्यादेशों के कम में अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, कर मुक्ति प्रमाण पत्र संबंधित निर्धारण अधिकारी से चाहने पर पूर्व में 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसे बाद में संशोधित कर, 2.25 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया एवम् तद्उपरांत किये गये करारोपण का प्रश्न है। इस संबंध में यह विशिष्ट

लगातार.....3

20.01.2015

रूप से उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्यादेश "Contract No.57 dated 07-01-2009 for Chabra Power Project for erecetion, testing and commissioning and civil work of Bop Package on EPC basis for 2x250 MW Chhabra Thermal Power Project, Stage=-I, Phase II as per the sepecification issued against NIT-TNCH-3" के तहत् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संशोधित कर मुक्ति प्रमाण पत्र के विरूद्ध **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटीशन कमांक 849/2011 दायर की गयी । जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निम्न निष्कर्ष अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन को खारिज कर, संबंधित निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में प्रकरण के निष्पादन हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गयी है "**.....Since all the questions are open questions yet to be decided by the AA, this court, advisedly, does not want to go into the finer details of the questions of facts and apply the law propounded by the superior courts at this stage.....thererfore, this court is not inclined to decide the present issues on merits as raised in the present writ petitions directed only against the show cause notices and even the assessment order passed in the connected writ petition being an appelable order, which was passed not for rectifying the exemption certificate but for imposing VAT itself on the tranasactions of sales involved in the execution of such works contract, the validity of which can be adjudged by the higher appellate forums and therefore, this court would refuse to invoke its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Consititution of India ." यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्राप्त कार्यादेश के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2009–10 के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये आदेश दिनांक 11.03.2013 के अस्वीकार कर, प्रकरण को संबंधित निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था जिसके संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश भी पारित किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 11.03.2013 को भी(**जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्राप्त कार्यादेश का बिन्दू भी विवादित है) अपीलार्थी व्यवहार द्वारा विवादित कर, अपील संख्या 798/2013/श्रीगंगागनर** कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जो आदिनांक तक कर बोर्ड के समक्ष लम्बित है। **यही नहीं ऊपर प्रोद्धरित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये आदेश में भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्यादेश कमांक 3381 के संबंध में भी उक्त बिन्दू विवादित हैं जिसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 796 व 797/2013/श्रीगंगानगर प्रस्तुत की हैं जो आंदिनांक तक कर बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं। चूंकि उक्त प्रस्तुत अपीलों में भी प्राप्त कार्यादश कमांक 57 दिनांक 07.01.2009 के बिन्दू निर्णयार्थ/विवादित हैं।** जहां तक जारी संशोधित कर मुक्ति प्रमाण के अवधि पार होने का प्रश्न है, उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक

20.01.2015

आलोक में, प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में यह पीठ नहीं होना अवधारित करती है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। **इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।**

आदेश प्रसारित किया गया।

आशा कुमारी 20.1.15

(आशा कुमारी)
सदस्य

20.1.2015

(मदन लाल)
सदस्य